कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीशः शाहदरा

कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली

परिपत्र

जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय) की केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति की बैठक दिनांक 15.12.2017 के निर्णयानुसार, शाहदरा जिला अधिनस्थ समस्त अनुभागों/शाखाओं को निर्देशित किया जाता है कि माह जनवरी, 2018 से मार्च, 2018 में राजभाषा हिन्दी में किये गये कार्यों की एक त्रैमासिक रिपोर्ट संलग्न प्रारूप (प्रोफार्मा) में तीन दिन में हिन्दी अनुभाग, शाहदरा को प्रेषित करें।

विधि 25/4/18

(विधि गुप्ता आनन्द)
महानगर दंडाधिकारी/नोडल अधिकारी,
हिन्दी विभाग, जिला शाहदरा,
कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली।

परिपत्र **की प्रति सूचना एंव आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित की जाती हैः-**

संख्या 3205-3219/हिन्दी/शाहदरा/2018/दिल्ली दिनांक 25/4/18

1. निजी सचिव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय), तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
2. अध्यक्ष, केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति, (मुख्यालय), तीस हजारी न्यायालय,दिल्ली।
3. निजी सचिव, जिला एंव सत्र न्यायलय, शाहदरा जिला, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली।
4. अधोहस्ताक्षरी के रीडर ।
5. समस्त अनुभागों/शाखाओं के प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक), शाहदरा जिला, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली को उनके अधिनस्थ सभी कर्मचारियों को सूचनार्थ देने एवं कार्यवाही हेतू ।
6. वेबसाइट समिति, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली।

विधि 25/4/18

(विधि गुप्ता आनन्द)
महानगर दंडाधिकारी/नोडल अधिकारी,
हिन्दी विभाग, जिला शाहदरा,
कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली।

जिला न्यायालय दिल्ली के विभिन्न अनुभागों/इकाइयों आदि में राजभाषा हिन्दी में किए गए कार्यों की त्रैमासिक रिपोर्ट

_____संबंधित तिमाही/वर्ष

(01 जनवरी से 31 मार्च तक, 01 अप्रैल से 30 जून तक, 01 जुलाई से 30 सितम्बर तक तथा 01 अक्तूबर से 31 दिसम्बर तक)

1. अनुभाग/इकाई का नाम, कक्ष संख्या व दूरभाष _____

2. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी(न्यायिक)/
प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक) का नाम _____

3. अनुभाग प्रभारी का नाम _____

4. अनुभाग/इकाई में तैनात कर्मचारियों की कुल संख्या _____

5. क्या हिन्दी में प्राप्त पत्रों का जवाब हिन्दी में दिया जाता है? _____

6. उपरोक्त तिमाही में हिन्दी में किए गए कार्यों का विवरण _____

7. टिप्पणी/सुझाव (यदि कोई है तो) _____

(हस्ताक्षर)
मोहर सहित